

# The Gazette of India

प्राधिकार ने प्रशामित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ∘ s) No. 8)

नई विल्ली, शिनवार, फरवरी 20, 1982/फाल्गुन 1, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982/PHALGUNA 1, 1903

दत भाग में भिन्न पुष्ठ सहया की जाती है जिससे कि यह अलग तंफलन के रूप में रहा जा राष्ट्रे Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication

PART II—v or 3—35-55 (1)

(रक्षा मं शालय ती छोड़कर) भारत सरकार से मंत्रावयों और (संज राज्य कोंज प्रशासनों को छोड़कर) तोण्यीय प्रधिकारियों हारा विशेष के धन्तर्गत बनाए भीर जारी किए गए साधारण नियम जिन्तें साधारण प्रकार ते आहेग, उनित्यन ग्रावि सिम्मिलित हैं General Statutory Rules (including orders, by&laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

बिकि, त्याय और कम्पनी कार्य संवासप

(भावती कार्य विशास)

नई दिल्ही, 10 करवती, 1982

सा ब्लाउ सिव 173 - सामनी स्थितियम 1956 (1956 का 1) की धारा 10% की अप-धारा (1) धारा प्रयत्न व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए केर्जीय सार्व: र क्लाइश अरत मरकार, विधि, व्याय घीर करवानी कार्य मंजालय (क्लाने कार्य मिलान) की. समय-समय पर क्या संवीधित विवाक 15 मार्च, 1976 की महता सरव कार कि 242 (३) की शिक्षांत्रका म कुल मिला विवास मार्व कार्य घार्ति —

स्तिथन मंत्रियुपना के व्यापक (गं) में, प्रतिब्दि (1) विक्षोपित कर ही आयोगी एवं विद्यापान प्रथिष्टिया ३ में ७ वर्ग पून नेक्शापन 2 से 6 होता ।

3 प्रपर कविन गणीवा । फरनरो, 1982 से प्रनादी होगा ।

[भवर- 45011/51/81-प्रशाल I] पारक बीक संखीजा, धन्य सामिन

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 10th February, 1982

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956

(1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. CSR 242 (F), dated 15th March, 1976, as amended from time to time, namely

In the said Notification in clause (a), entry (2) shall be deleted, and the existing entries 3 to 7 shall be renumbered as 2 to 6.

 The aforesaid amendment takes effect from the forenoon of 1st February, 1987.

> [No. A-45011[51[81-Admn. [] R. D. MAKHEEIA, Under Secy.

# गृह मंजालय

(कार्मिक और प्रशासिक मुद्यार विभाग)

भर विस्ती, 4 फरवरी, 1982

साठ काठ कि० 17 4.—सिंबल भारतीय सेवाएं (गोपनीय पंति थां) भियम, 1970 के तियम 4 के धानुभरण में धौर विनोधः 11 भिष्यवर 1973 की धीमसूचमा संख्या 34/4/71-घठ घाठ सेठ (iii) छड़ 1 (ख) का घीमसूचमा संख्या 35/4/71-घठ घाठ सेठ (iii) छड़ 1 (ख) का घीमसाण करते हुए, केल्बीय सरकार ब्रम्भे माथ संज्यन प्रणक्ष को ऐसे प्रमक्त के क्य में निविच्छ सरकी है जिसमें धीमक बारतीय सेवायों के प्रशंक सदस्य के संबंध में गायनीय रिपोर्ट किसी आएगी।

1287 QUST-1

### रबास्थ्य और एरिवार कल्याण मंत्रालय

### (स्वास्थ्य विद्याग)

नई विस्त्री. 30 विसम्बर, 1981

सारकार पिर 178--संविद्यान के प्रपृष्टेंद 309 के परन्तुभ द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए घीर यें,वर्म,वर्म,वर्म,वर्ममाना, विक्री, भग्नास (श्रेणी 3) भर्ती नियमों, 1965 का परिश्लमण करते हुए राष्ट्रपात एनद्वारा वं।वर्म,वर्म।व यैक्स,न, प्रयोगशाला, मह म में समूह में ने मुख पदों के भर्ती नियमों को पदाल को पिलियमिस करने के सिए निम्नानिश्चित नियम बनाते हैं, प्रयत् :--

- इन नियमों का नाम बीं उसीं उर्जी व वैन्तीन प्रयोगशाला. गिडों, महाम (ममुद्र 'ग' पत्र) अर्ली नियम. 1981 है ।
- 2. में सरकारी राजपल में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- 2 उपयोजन: ये नियम इन नियमों से संलग्न धनुमुखी के कालग-1 में निर्दिश्ट वर्शे पर लागू होंगे।
- ) पदों की संख्या, वर्गीकरण शबा बेसनमान :

परों की संबंधा, उनका बर्गीकरण तथा बेननमान बहाँ होंगे जैमा कि प्रनुसूची के स्नम्म 3 से 4 में निदिस्ट है।

श्लों की किछि, छाव्यास्मा, छहेमार्थे, छादि :

जिक परों पर ानीं की विधि, धायुमीमा, छहैनामें नम। घटन बातें वहां होंगी जैमा कि उक्त घरुमूर्चा के स्वस्त 5 से 13 में निविद्ध हैं।

- पनहैंगा : कोई व्यक्ति,—
  - (क) ओ फिसी ऐसे व्यक्ति से विवाह मरता/करती है प्रयत्रा विवाह की संवित्रा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो. प्रयत्रा
- (छ) जो ध्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित यहने ३ए किसी; व्यक्ति के माथ विवाह करना/करनी है प्रथवा विवाह की मंबिया करसा/करनी है. सेवा में नियन होने का पाथ नहीं है/कोगा

परन्तु केर्जाय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे ध्यक्ति और विवाह के दूसरे हैं पक्षकार पर लागू होने ताला स्वीय विधि के घछीन प्रमुकेय हैं, और ऐसा करने के घन्य घाधार हैं, किसी भी ध्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

## 0. छुट देने यी प्रक्ति

जहां केन्द्रीम सरकार का यह विश्वार हो कि श्रूर वेना घाषध्यक्ष या उक्तिन है वना निश्चित कारणों के घाधार पर घावेण द्वारा किसी छेणी या वर्ग में संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों में किसी उपबंध से छूट दे सवती है। ए व्याधृति

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये घादेशों के घनुमार घनुमूचित जानि/घनुसूचित जनजास तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन घारकांगों घीर धन्य रियायनों की स्थवस्था करना धपक्ति है. उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रश्व नहीं पहेंगा ।

अनुसूची										
पद मा नोम	पटों पी धर्मीकरण संख्या		केननमान पत्रन गद सर्वता गैर चमन गद				धपेकित गौकिक	भूती वाले छम्मीदवारों से अंत ग्रैकिक नदा घन्य योग्य-		
	2	å	4	5		6	7			
. प्रयोगशाला सहायक	(*) 16 (सोलड़) *कार्य- धार के धन्नार इस सक्या मे परिवर्धन किया जा राफना है।	सामान्य भेन्द्रीत्य सेवा समृत् ''ग'' घराजपित्तम घरित्राचित्रवर्गीय	10-₹	०-8-340 ०रो०- द०रो०-	धचयन	18 में 25 वर्ष के ब.च (मरकारी धानुदेशो धार्म्साधी के ध मरकारी मनेवा विला 35 वर्ष तक थिलनीय) नीटधायुसीमा धारित करने की यक तारीख भा रहुते बाले घम्य से (उनसे पिक्र जे धान घोर निक् धायममूह तथा न भ रहुत है) ध प्राप्त करने की सारीख होगी।	ा भीर मुन्य। नुमार वाछनीय न्यो के प्रयोगणान्न र शि- या प्र वर्षकः भव- निर्णा- रत मे गर्थियो ने भड़- रोबार सर्वक	ा एल वर्षा पास या सम् गटेक्नोलाजी में डिप्लोम योगणाला कार्य में ड		

8	0	10		11		12		1.3		
गोक्षिक सहैतः है। बायुर्सेन्मः ∸हें।	दो वर्ष			परीफ़्रांच : प्रयोगकालः परिष्य जा उस पर पर कम से कम ते.च बये पी. सेंगा कर कुंक हो सीर एस अपन एस ० सी० या उसके समतुत्य परीक्षा पास हो		धिनामां वदाश्रीन सामांथ जितमें निम्नांगांध्या सदस्य होंगे :=-  1. निवेशपा, दीं निर्मां निर्मां, प्रयोगशास्ता, निर्मां, महास, —-पट्टाना 2 थो जप निवेशका, दीं निर्मां, श्रीन प्रयोगशासा, गिटीं, भद्रास —-सवस्य 1. सहायका निदेशका, विगत सस्टीट्यूट, गामसनावु सरनारसवस्य		વાનું તેવી દીવા		
		3				6				
		केन्द्रीय भागान्य मेवा. समृह् "ग" घराप्र- पश्चित घटेमपिक- वर्गीय	260-8-300- व०२१-8-340- 10-360-४०रोठः 10-430 ४०	सानु नर्नुहर्नुतना	18 में 25 वर्ष के बीहि। (गरकारी प्रानुदेशों घोर पारेगों के प्रनुप्तार सर- कारी कर्षचारियों के लिए 35 वर्ष नक शिष्यनमीय) नोट : पायुसीमा प्रव- घारिन करने की निर्या- यक नारीख भारन में रहने वाले भारन में रहने वाले भारन में रहने वाले प्रार्थियों ये (उनसे भिष्न जो घंश्मान तथा सक्षद्वीय में रहने हैं) पालेवन प्राप्त करने की प्रतिम साराख होगी।		समगुन्य हेक्जीलाजी बाली या वि जीवाणु विश् बाला के दा प्रयोग क	डरी (जिज्ञान) प्रतृतारं/प्रयोगाः डिप्प्तोमा कसी मान्यता गान संबंधी प्रः मार्थ में प्रणि कार्य में कम से प्रतृमक रखने	(जिज्ञान) या हैनागं/प्रयोगशाला इंप्लोमा रण्डेने मान्यता प्राप्त संबंधी प्रयोग- में प्रणिलित में कम से सम	
	9	10		11	<u>-</u> -		12	13	+ 60 -	
ह सागू भद्दी होता।	र्ध। दर्भ	75 प्रतिशत स्थान भौर 25 प्रतिशत श्रापः।		ऐसे प्रयोगपाल। महास स्थान।शारण करवे से कम तीन वर्षे कर जुके हो ड एस०एन०सी० य परीका पास हो।	ं जो कम को सेव। ग्रीर एम०	विद्यागीय पर्द त्रिगमें भवस्य होंगें 1- निवेशक, व प्रयोगशाला, महाग 2- वो उप नि	ाश्रीत समिन निम्नित्यित गिडी, —अहपक्ष तदेशक, बीठ त्रयोगगाला, गम—स्वस्य देशक, किन्न नमिलनाडू	लागू नहीं र	होस	

[स॰ ए॰ 12018/5/78-प्रशासन-][[/जन स्थारस्य]

मी० के० डी० नेगी, धवर सचिव

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th December, 1981

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and, in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras (Cluss III) Recruitment Rules, 1965, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the BCO Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay.—
  The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.
- 4. Method of recruitment, age limits and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

- 5. Disqualification.-No person-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permis ible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Member

### SCHEDULE

me of page	No. of posts	Cl <sup>-</sup> ssif	ication	Scale of pry	Whether Selection post or non- Selection Post	Age limit for recru		Educrticar] 27 fications requi recruitments	ed other queli- red for direct
1	2		3	4	5				~
4. La borato Assistant	(Sixt	een) Sci C' No	neral Central rvice, Group Non-Gazetted in-Ministerial	8-340-10-EB EB-10-430	-380- tion	years (Rolaxal Government vants upto 35 in record ince the instruction orders issued by	ble for ser- ! years with is and by the fovern- ucial nlning shall date of from india those and ds and	Pass in Secondary S Certificate or it Desirable: Diplom Technology or t perience in Labo	s equivalent. s in Laboratory wo years ex-
=======================================		<del>,-</del> -				======		12	$\overline{\cdot} = \overline{-\frac{13}{13}} = \overline{\cdot}$
Educations fication—Age limit—	Yes	wo years	75% by pror 25% by direc	notion and	Promotion-Labora ants possessin than three year the same post a Secondary Sch Certificate or ec umination.	tory Attend- D g not less 's service in nd a pass in cool Leaving quivalent ex- (2	connection of (1) Vaccing Guind; Chairn ) Two tant [ Vaccing Guind; Membe ) Assist Kings	ittee consisting Director, BCG c Lahoratory, y, Madras— nan Deputy Assis- Directors, BCG, c Laboratory, y, Midras— irs, ant Director, Institute, Govern— f Timil Nadu—	Not a pplicable

Not appli-General Central Rs. 260-8-300 -Between 18 and 25 Pre-University (Science) or Higher 5. Senior Laborn-Service, Group EB--8-340-10-380 cable years (Relaxable for tory Assistant Secondary Science or equivalent 'C' non-gazetted EB-10-430 Government servants qualifications. Preference will upto 35 years in ac-Non-Ministerial bo given to a candidate cordanic with the possessing a Diploma in Laboinstructions and orratory Technology or training ders issued by the in bacteriological work in re-Central Government. recognised bacteriological labo-Note: The crucial ratory or experience in Labodate for determining ratory work for at least the age limit shall be two years. the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Laksha-"Subject to variation dependent on work load dweep). 11 12 75% by transfer Transfer of Laboratory Assistants Departmental Promotion Not applicable. Not applicable Two years Committee consisting of 25% by direct recruitpossessing not less than three ment years regular service and po- (1) Director, BCG Vacone Laboratory, Guindy asessing a pass in S.S.L.C. or Madras (Chairman) equivalent examination. (2) Two Deputy Assistant Directors BCG Vaccine Laboratory, Gulndy Madras. (Members). (3) Assistant Director, Kings Institute, Government of Tamil Nadu (Member).

[No. A-12018/5/78 -- Admin. 11/P.H.]

B. K. D. NEOI, Under Secy.